



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60537-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - **204/2026**

मोहम्मद हारुन एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीगण के अधिवक्ता: अनुराग त्रिपाठी, गरिमा चौहान, राहुल कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी,

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण दीक्षित और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडेय को सुना।
2. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया गया है। उक्त पुलिस अधिकारी के व्यक्तिगत शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि विवेचक द्वारा इस न्यायालय के बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या **35/2026**, उमंग रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, दिनांक 22.01.2026 के निर्णय और माननीय उच्चतम न्यायालय के मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2025) एससीसी ऑनलाइन **2356** के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध जांच करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को दिनांक 10.03.2026 को एक पत्र जारी किया गया है।
3. सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), पीलीभीत द्वारा भी दिनांक 10.03.2026 के आदेश के अनुपालन में एक उत्तर भेजा गया है, जिसमें न्यायालय को आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में उनके द्वारा यह गलती नहीं दोहराई जाएगी।
4. हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए और कभी-कभी मुद्रित प्रोफार्मा (प्रिंटेड प्रोफार्मा) पर रिमांड आदेश पारित किए गए हैं। इस मामले में मजिस्ट्रेट के इस आचरण के कारण, इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अननुपालन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य व अन्य, (2013) 1 एससीसी **314**' के मामले में पैराग्राफ 24 में यह निर्धारित किया है कि रिमांड का आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मजिस्ट्रेट का एक न्यायिक कार्य है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे और उसके बाद आदेश पारित करे।

त्वरित संदर्भ के लिए पैराग्राफ संख्या 24 से 26 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"24. किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजने का निर्देश देने का कार्य मौलिक रूप से एक न्यायिक कार्य है। किसी अभियुक्त को हिरासत में रखने का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट कार्यकारी क्षमता में कार्य नहीं करता है। इस न्यायिक कार्य को करते समय, मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि क्या उसके सामने रखी गई सामग्री ऐसे रिमांड को उचित ठहराती है या, दूसरे शब्दों में, क्या अभियुक्त को हिरासत में भेजने और उसके रिमांड को बढ़ाने के लिए उचित आधार मौजूद है। धारा 167 के तहत परिकल्पित रिमांड का उद्देश्य यह है कि जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती। यह मजिस्ट्रेट को यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्या रिमांड वास्तव में आवश्यक है। इसके लिए विवेचना एजेंसी को रिमांड रिपोर्ट के साथ केस डायरी भेजना आवश्यक है ताकि मजिस्ट्रेट तथ्यात्मक स्थिति को समझ सके और अपना मस्तिष्क प्रयोग कर सके कि क्या पुलिस रिमांड के लिए वारंट है या न्यायिक रिमांड का औचित्य है या किसी रिमांड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे और स्वचालित रूप से या यांत्रिक तरीके से रिमांड का आदेश पारित न करे।

25. यह नोट करना उपयुक्त है कि 'मधु लिमये (1969) 1 एससीसी 292' में यह कहा गया है कि एक बार जब यह दिखा दिया जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई गिरफ्तारियां अवैध थीं, तो राज्य के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि रिमांड के चरण में, मजिस्ट्रेट ने सभी प्रासंगिक मामलों पर अपना मस्तिष्क प्रयोग करने के बाद जेल हिरासत का निर्देश दिया।

26. 'सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल-I बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी, (1992) 3 एससीसी 141' में यह कहा गया है कि जहाँ किसी अभियुक्त को कानून के तहत अनुमत अधिकतम पंद्रह दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है, चाहे वह एकल रिमांड आदेश के अनुसार हो या एक से अधिक आदेशों के माध्यम से, जब प्रत्येक अवसर पर रिमांड को कम दिनों तक सीमित रखा जाता है, तो अभियुक्त की आगे की हिरासत, यदि आवश्यक हो, अनिवार्य रूप से न्यायिक हिरासत में होनी चाहिए अन्यथा नहीं। इस प्रकार, क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मजिस्ट्रेट एक न्यायिक कार्य करता है।"

6. अतः, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा मांगी जा रही अभियुक्त की रिमांड कानून के अनुसार है या नहीं।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची को पहले ही हिरासत से रिहा कर दिया गया है।

8. हालाँकि, प्रत्यर्थी कानून के अनुसार याचीगण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. इस न्यायालय के महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजें ताकि रिमांड मजिस्ट्रेटों द्वारा कानून और रिमांड के आवश्यक अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

10. याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है।

(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ,
न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

एन.एस.सी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"